

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

योगेश आदि बनाम वीरसिंह आदि

दावा बाबत :- 88R7ACT

मुकदमा नम्बर :- 248/2020

निर्णय दिनांक :- 11-11-2021

वादी की ओर से वकील शिवानसिंह की व प्रतिवादी सं0.1 की ओर से वकील राजेश सहारण की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 11-11-2021

को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि

शेही मिरानी के खाता सं 285/522 के मु.न. 73 के किला न. 11, 20, 21/2, मु.न. 74 किला न. 21/3, मु.न. 75 किला न. 25/3, मु.न. 83 किला न. 5, 6, 15, 16, मु.न. 94 किला न. 1, 5, 10, 20, मु.न. 96 किला न. 47, 14, 17, 24, मु.न. 98 किला न. 8 ता 12, किला न. 24/2, मु.न. 502 किला न. 67, 8/1, 14/2, 15, 16/1 कुल 6.21.30 है वारानी खातेवादी व शेही चमू 8552 के मु.न. 120 किला न. 11 ता 19 कुल 2.27 है नदरी 2.27 है गे.मु. खाता 0.55 है नदरी खातेवादी प्रतिवादी सं. 1 वीरसिंह के नाम से राजेश खिन्डा में राज है में से अकेले प्रतिवादी सं. 1 वीरसिंह के सजाए वादी सं. 1 योगेश, वादी सं-2 खीन चौधरी व प्रतिवादी सं. 1 वीरसिंह को वारिस वीरवर के खातेवार फास्टकार घोषित किया जाते है यदि कृषि मुक्ति बॉक्स के रहने है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही राजेश खिन्डा में झुल्ला वसामु किया जावे। राजानभा का डिक्री का भाग पढा जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 11-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)  
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़  
कैम्प 2-11-2021